संख्या-14/2017/4963/71-2-16-57/2016

प्रेषक,

डा0 अनिता भट्नागर जैन,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
सुपर स्पेशियलिटी बाल चिकित्सालय एवं
पोस्ट ग्रेजुएट शैक्षणिक संस्थान, नोएडा, गौतमबुद्धनगर।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 10 फरवरी, 2017

विषय- वित्तीय वर्ष 2016-17 में संस्थान के आवश्यक व्ययों के वहन हेतु वित्तीय स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके के पत्र संख्या-एस0एस0पी0एच एण्ड पी0जी0टी0आई0/बजट (2016-17)/124, दिनांक 05-12-2016 के संदर्भ में तथा शासनादेश संख्या-64/2016/1549/71-2-16-57/2016 दिनांक 11 अप्रैल, 2016 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2016-17 में अनुदान संख्या-31 के अंतर्गत आयोजनागत पक्ष में संस्थान के आवश्यक व्ययों के वहन हेतु 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) मद में प्राविधानित धनराशि रू0 27.00 करोड के सापेक्ष अवशेष धनराशि रू0 13,50,00,000/- (रूपया तेरह करोड पचास लाख मात्र) को निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

1. स्वीकृत की जा रही धनराशि पी0एल0ए0/डाकघर/बैंक में नहीं रखी जायेगी।
2. स्वीकृत धनराशि का आहरण वास्तविक आवश्यकतानुसार एवं व्यय नियमानुसार किया जायेगा तथा इसका उपयोग उसी मद में किया जायेगा जिसके लिए यह धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किसी अन्य मद में व्यय वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।
3. वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 22 मार्च, 2016 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
4. स्वीकृत धनराशि का व्यय विवरण निर्धारित प्रारूप पर शासन को उपलब्ध कराया जायेगा, इसके अभाव में अनुदान की आगामी किश्त निर्गत किया जाना सम्भव नहीं होगा।

2- धनराशि को कोषागार से संस्थान के वित्त अधिकारी द्वारा आहरित किया जायेगा तथा बिलों पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त किये जायेंगे।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-31-चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण) के लेखाशीर्षक "2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-आयोजनागत-05-चिकित्सा शिक्षा-प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-03-शिक्षा-0370-सुपर स्पेशियलिटी बाल चिकित्सालय एवं पोस्ट ग्रेजुएट शैक्षणिक संस्थान, नोएडा की स्थापना-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)" के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-3/114(।।)/दस-2017, दिनांक 27 जनवरी, 2017 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(डा0 अनिता भट्नागर जैन)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-14/2017/4963(1)/71-2-16-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. प्रमुख सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. कोषाधिकारी, गौतमबुद्धनगर।
4. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
5. वित्त अधिकारी, सुपर स्पेशिलिटी बाल चिकित्सालय एवं पोस्ट ग्रेजुएट शैक्षणिक संस्थान, नोयडा।
6. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण, नोएडा।
7. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/नियोजन अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2
8. स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 ।
9. प्रभारी अधिकारी, एन0आई0सी0, छठा तल, योजना भवन ।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(नीलेश कुमार सिंह)
अनु सचिव।